

परियोजना का नाम

:- जनपद पिथौरागढ़ में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत जनपद पिथौरागढ़ के विकास खण्ड- मूनाकोट, सल्ला सेल से रौतगड़ा मोटर मार्ग (8.050 किमी०) तक का नव निर्माण हेतु वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।

प्रतिवेदन

भारत सरकार के ग्रामीण विकास मन्त्रालय द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि आय और उत्पादन रोजगार अवसरों के अधिक मात्रा में सृजन एवं स्थायी रूप से गरीबी निवारण करने के उद्देश्य से पर्वतीय क्षेत्र में २५० से अधिक आवादी वाले असंयोजित बसावटों को किसी भी बारहमासी सम्पर्क मार्ग से जोड़ने का कार्यक्रम संचालित किया जा रहा है। उक्त के क्रम में सचिव, ग्राम्य विकास विभाग, उत्तराखण्ड शासन के पत्रांक संख्या : १८८०/पी ३-१६/यू०आर०आर०डी०ए०/११ दिनांक २३ दिसम्बर, २०११ उत्तराखण्ड शासन द्वारा उपरोक्त मोटर मार्ग प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के फेज -VII के अन्तर्गत प्रस्तावित किया गया है। (शासनादेश की फोटो प्रति संलग्न है)

वर्ष २००१ की जनगणना के अनुसार बसावट रौतगड़ा की आवादी २७६ अभी तक किसी भी मोटर मार्ग से नहीं जुड़ा है। उन्नत कृषि भूमि होने के कारण क्षेत्र की जनता का मुख्य व्यवसाय कृषि एवं पशुपालन है, परन्तु यातायात की सुविधा न होने से कास्तकारों को अपनी उपज का उचित मूल्य नहीं मिल पाता है साथ ही यातायात के साधन न होने से सरकार द्वारा घोषित विभिन्न विकास कार्य भी क्षेत्र में सुगमता पूर्वक संचालित नहीं हो पाते हैं। अन्य रोजगार के साधन न होने से बेरोजगार युवाओं का शहरों की ओर पलायन हो रहा है। मोटर मार्ग निर्माण हो जाने से जहां युवाओं के लिए नये रोजगार के अवसर स्थानीय स्तर पर ही उपलब्ध हो सकेंगे, वहीं सरकार की विकास योजनायें भी सुगमता से संचालित हो सकेंगी।

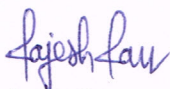
उल्लेखनीय है कि पर्वतीय क्षेत्र में कास्तकारों की नाप भूमि के अतिरिक्त समस्त प्रकार की भूमि को वन भूमि श्रेणी में ले लिया गया है। इस मार्ग के समरेखण में वन पंचायत भूमि ०.०० है०, नाप भूमि ०.६६५ है०, सिविल सोयम भूमि ६.२५० है० एवं मोटर मार्ग के निर्माण में उत्सर्जित मलवा निस्तारण स्थल हेतु नाप भूमि ०.००० है०, सिविल सोयम भूमि ०.५४० है० प्रभावित हो रही है। जो न्यूनतम एवं अपरिहार्य है, वन भूमि हस्तान्तरित करने हेतु वन संरक्षण अधिनियम १९८० के प्राविधानों के अन्तर्गत प्रस्ताव गठित कर प्रेषित किया जा रहा है।

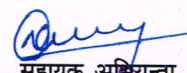
विस्तृत सर्वेक्षण उपरान्त इस मार्ग के निर्माण हेतु २ समरेखणों पर विचार किया गया है जिन्हें प्रस्ताव में संलग्न इन्डैक्स मानचित्र में अलग-अलग रंग से दर्शाया गया है।

समरेखण नं० १ :- प्रस्तावित सड़कसंरेखण, सल्ला से सेल मोटर मार्ग के कि०मी ८ के अन्तिम बिन्दु से प्रारम्भ होता है जो सेल में स्थित प्राइमरी पाठशाला के पीछे की ओर स्थित लड़ीधार-पंचेष्वर पैदल मार्ग से प्रारम्भ होता है एवं रौतगड़ा में वर्तमान में स्थित एस०एस०बी० कैम्प के पास समाप्त होता है। इस समरेखण में क्रमशः -1:25, -1:20, -1:50, -1:20, -1:21, -1:50, -1:20, -1:25, 1:25, -1:20, 1:20, -1:20, 1:50, -1:20, -1:50, -1:20, -1:50, -1:24, -1:20, -1:50, 1:50, 1:20, -1:50, 1:50 लेविल ग्रेड दिए गये हैं। सड़क संरेखण में ५ हेयर पिन बैण्ड्स कि०मी० 0.550, कि०मी० 1.075, कि०मी० 5.025, कि०मी० 5.325, तथा कि०मी० 6.100 पर प्रस्तावित है। सड़क संरेखण का भाग पंचायती वन, निजी नाप तथा बंजर भूमि से होकर गुजरता है। समरेखण से सभी ग्रामवासी सहमत हैं। सहमति पत्र संलग्न है।

समरेखण नं० २ :- इस समरेखण में क्रमशः -1:20, -1:50, -1:20, -1:21, -1:22, -1:50, -1:22, 1:22, -1:20, -1:50, -1:20, -1:50, -1:20, 1:20, -1:18, -1:50, -1:18, -1:50, -1:18, -1:25, -1:50, -1:25, -1:50, -1:25, -1:20, 1:20, 1:50 लेविल ग्रेड दिए गये हैं। समरेखण में ६ हेयर पिन बैण्ड प्रस्तावित है। समरेखण २ की लम्बाई 1-950 कि०मी० अधिक है। इसमें अधिक सिविल भूमि, नाप भूमि, वन भूमि, वन पंचायत भूमि प्रयोग हो रही है। लम्बाई अधिक होने के कारण वृक्षों की क्षति अधिक हो रही है एवं इस समरेखण से ग्रामवासी भी सहमत नहीं हैं। अतः तकनीकी एवं मितव्ययता को दृष्टिगत रखते हुए यह संरेखण उचित नहीं पाया गया।

उक्त को ध्यान में रखते हुए समरेखण नं० २ को निरस्त कर समरेखण नं० १ को अनुमोदित किया जाता है। इन दोनों का समरेखणों का भूवैज्ञानिक द्वारा भी निरीक्षण किया गया है एवं उनके द्वारा समरेखण नं० १ को मार्ग निर्माण हेतु तकनीकी, पर्यावरणीय एवं भूगर्भीय दृष्टि से उपयुक्त पाया गया है। (प्रतिलिपि संलग्न है) अतः ८.०५० कि०मी० लम्बाई में ग्राम्य विकास विभाग के मानकों के अनुसार सिविल सोयम भूमि ६ मीटर, चौड़ाई एवं मलवा निस्तारण स्थल हेतु ६.७६० है० प्रधान मन्त्री ग्रामीण सड़क योजना (ग्राम्य विकास विभाग) को हस्तान्तरित करने हेतु वन संरक्षण अधिनियम १९८० के प्राविधानों के अन्तर्गत यह प्रस्ताव गठित कर प्रेषित किया जा रहा है।


कनिष्ठ अभियन्ता
पी०एम०जी०एस०वाई,
सिंचाई खण्ड, लो०नि०वि०
पिथौरागढ़


सहायक अभियन्ता
पी०एम०जी०एस०वाई,
सिंचाई खण्ड, लो०नि०वि०
पिथौरागढ़


अधिशाली अभियन्ता
पी०एम०जी०एस०वाई,
सिंचाई खण्ड, लो०नि०वि०
पिथौरागढ़